फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 151/23**

जीसीएमएस : 2023/444

प्रार्थी :– 1. श्री सत्येन्द्र सिंह पिता लालसिंह चारण निवासी धारता तह. मावली।

विपक्षी :–1. श्री वरदा पिता शंकर मेघवाल निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
2. श्री उंकार दत्तक पिता नवला गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
3. श्री उंकार पिता कालु गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
4. श्री टीला पिता चौखा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
5. श्री मोडा पिता चौखा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
6. श्री मोती पिता कालु गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
7. श्री हिमा पिता कालु गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
8. श्री उदा पिता गोदा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
9. श्री कमलचन्द पिता भेरा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
10. श्री गंगाराम पिता सवा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
11. श्रीमती जेतुबाई पत्नी जोधा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
12. श्री देवा पिता माना गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
13. श्री देवीलाल पिता भेरा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
14. श्री नवला पिता चेना गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
15. श्री नाथुलाल पिता सवा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
16. श्री नोजीराम पिता सवा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
17. पारसबाई पुत्री उदा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
18. श्री भगवानलाल पिता रूपा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
19'. श्रीमती मगनीबाई पत्नी भेरा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
20. श्री मांगीलाल पिता भेरा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
21. श्री रामा पिता रत्ता गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
22. श्री रोडा पिता जोधा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
23. श्री लक्ष्मण पिता उदा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
24. श्री लोगर पिता सवा गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
25. श्रीमती सवी पुत्री माना गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
26. श्रीमती हमेरी पत्नी रत्ता गाडरी निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
27. श्री नारायण पिता मोती मेघवाल निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
28. श्री मांगीलाल पिता सवा मेघवाल निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
29. श्रीमती वरदीबाई पत्नी मांगीलाल मेघवाल निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
30. श्री दिनेश पिता प्रहलाद मेघवाल निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
31. श्री दीपा पिता कनिया मेघवाल निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
32. श्री पूरण पिता प्रहलाद मेघवाल निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
33. श्रीमती मांगीबाई पत्नी प्रहलाद मेघवाल निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
34. श्री मोती पिता कनिया मेघवाल निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
35. श्री रूघनाथ पिता केशा मेघवाल निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
36. श्री विनोद पिता प्रहलाद मेघवाल निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
37. श्रीमती हमेरी पत्नी [illegible] मेघवाल निवासी शम्भुपुरा तह. वल्लभनगर।
38. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
39. पटवारी, पटवार हल्का [illegible]पुर, तह. मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:49 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.08.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 37 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तोवज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। विपक्षी सं. 1 से 37 बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी भी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया, जिससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है, इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **—: आदेश :—** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धारता पटवार हल्का खेमपुर की आराजी नम्बर 359, 360, 361, 362, 363, 364, 995 किता 7 रकबा 6.8471 हेक्टेयर भूमि के दक्षिण दिशा की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 1000/— एक हजार रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को सूचना पत्र जारी कर यथासम्भव सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी मौके पर अदा करेगें। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(मनसुख राम डामोर)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:49 IST
Reason: SelfAttested